अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये विलम्ब का कारण

राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण **"मुद्रित प्रतियाँ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना एवं विधान मण्डल का द्वितीय सत्र-2020 का अत्यधिक लघु होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"**

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री

m.note

क्रम-संख्या–124 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 17 अगस्त, 2020
श्रावण 26, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 827 / ग्यारह-2–20–9(46)-20-उ०प्र०अधि०–5-2008-आदेश(140)-2020
लखनऊ, 17 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प०आ०–193

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन्2008) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 29 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में महामारी कोवीड–19 के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए एतद्द्वारा निम्नवत अधिसूचित करती हैं :–

जहाँ, किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी समय सीमा, जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट की गयी हो या तद्धीन विहित या अधिसूचित की गयी हो, को, जो दिनांक 20 मार्च, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक की अवधि के दौरान आता है, और जहाँ ऐसी कार्रवाई की पूर्ति या उसका अनुपालन ऐसी समयावधि के भीतर न किया गया हो, वहाँ ऐसी कार्रवाई को पूरा करने या उसका अनुपालन करने की समय–सीमा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित प्रयोजन सम्मिलित होंगे :–

कोई अपील, उत्तर, या आवेदन–पत्र दाखिल किया जाना, कोई दस्तावेज, या ऐसे अन्य अभिलेख को प्रस्तुत किया जाना, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय या किसी नोटिस का जारी किया जाना अथवा कोई आदेश पारित किया जाना;

किंतु, ऐसा समय विस्तार, उक्त अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के ऐसे उपबंधों के अनुपालन के लिए ही लागू होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित हैं :–

(एक) धारा 27;

(दो) धारा 31;

(तीन) धारा 32;

(चार) धारा 55 एवं धारा 57;

(पांच) नियम 45 (13).

2—यह अधिसूचना दिनांक 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 827/XI-2–20-9(46)-20-U.P.Act-5-2008-Order(140)-2020, dated August 17, 2020 for general information :

No. 827/XI-2–20-9(46)-20-U.P.Act-5-2008-Order(140)-2020

Dated Lucknow, August 17, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 29 A of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (Uttar Pradesh Act No. 5, 2008) (hereafter referred to as the said Act), in view of the spread of pandemic COVID-19 in Uttar Pradesh, the Governor, hereby notifies, as under,-

WHERE, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 20th March, 2020 to the 30th September, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action shall be extended upto the 31st October 2020, including for the purposes of;

Filing of any appeal, reply or application or furnishing of any document or such other record, by whatever name called, or issuance of any notice or passing of any order;

But such extension of time shall be applicable only for the such provisions of the said Act or Rules made there under as mentioned below-

(i) sec. 27;

(ii) sec. 31;

(iii) sec. 32;

(iv) section 55 and sec 57;

(v) Rule 45 (13).

2.This notification shall be deemed to have come into force with effect from the March 20, 2020.

By order,

ALOK SINHA,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 174 राजपत्र—2020—(534)—599 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 39 सा0 राज्य कर—2020—(535)—3500 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

174 RPH rajaya kar anu-2 data 4c